आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या-~~176~~ 180/2017

आदेश

(धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

राजू प्रसाद वगैरह ———— प्रथम पक्ष

बनाम्

प्रमोद प्रसाद वगैरह———————— द्वितीय पक्ष

P-37 14-6-18

24.05.2018 यह प्रक्रिया आवेदक 1. राजू प्रसाद 2. धर्मेंद्र प्रसाद, दोनो के पिता–स्व0 लक्ष्मी साव, ग्राम–नावाटांड़, पो0 + थाना–नौडीहा बाजार, जिला– पलामू ने 1. प्रमोद प्रसाद 2. विनोद प्रसाद 3. संजय प्रसाद तीनो के पिता– स्व0 नंदकिशोर प्रसाद सभी ग्राम–नावाटांड़, पो0 + थाना–नौडीहा बाजार, जिला– पलामू के विरुद्ध मौजा– नावाटांड़, खाता सं0– 103, प्लॉट सं0– 338, रकबा– 0. 1/2 एकड़, चौहद्दी, उतर–मदन साव, दक्षिण– रास्ता, पूरब– बजरंगी साव वगैरह, पश्चिम– धर्मेंद्र साव नीज प्रथम पक्ष लिए विवादी भूमि के ऊपर धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया कायम कर उभय पक्षों को विवादी भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थि हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि गत सर्वे खतियान में हंसराज सोनार वल्द पुनीत सोनार कौम सोनार साकिन देह दर्ज है। हंसराज सोनार का सम्पति का बंटवारा खेलावन साव के पुत्र का बंश नहीं होने के

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	
	कारण आपसी बटवारा इशरी साव, दयाल साव एवं रामप्रसाद साव में हुआ। इशरी साव को प्लॉट सं0–338 में 1 डी0 भूमि मिला जो इशरी साव के मृत्यू के बाद उनके पुत्र रामचंद्र साव एवं लक्ष्मी साव दखल– कब्जे आये और आपस में बटवारा किये और बटवारा में लक्ष्मी साव को 0.01/2 एकड़ भूमि हिस्सा में मिला तथा लक्ष्मी साव के मृत्यू के बाद लक्ष्मी साव के सम्पति पर राजू प्रसाद और धर्मेंद्र प्रसाद का दखल– कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है तथा प्रश्नगत भूमि का सराकारी रसीद प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से निर्गत होते चला आ रहा है। विपक्षी के द्वारा के प्रश्नगत भूमि को बल पूर्वक हथियाना चाहते थे जिसके कारण विवाद हुआ और नौडीहा बाजार थाना में काण्ड सं0–18/18 दिनांक 23.03.2018 को दर्ज हुआ। अतः निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में निर्पेक्ष करने की कृपा की जाय। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि यह वाद पूर्व से बने मकान पर पर प्रारम्भ कर दी गयी है जो धारा 144 दं0प्र0सं0 की प्रकिया मकान पर कायम नहीं किया जा सकता है। विवादी भूमि उभय पक्ष के खतियानी भूमि है तथा खतियान उभय पक्ष के पूर्वज हंसराज सोनार के नाम से दर्ज है। द्वितीय पक्ष दयाल सोनार के पत्नि रामकली देवी से 1/2 डी0 भूमि कय किये हैं। ज्ञात हो कि इशरी सोनार के दो पुत्र रामचंद्र सोनार एवं लक्ष्मी सोनार हुए। प्रथम पक्ष लक्ष्मी सोनार के वंशज हैं तथा द्वितीय पक्ष रामचंद्र सोनार के वंशज हैं जो 1 डी0 भूमि का आध–आधा के हिस्सेदार हैं। रामकली देवी के द्वारा दया देवी के नाम किये गये विकि का	

4

... की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

डिड नं0–386 दिनांक 12.01.1978 है तथा केवाला के समय से द्वितीय पक्ष का दखल – कब्जा कायम है एवं सरकारी रसीद कटाते चले आ रहे हैं। अतः प्रथम पक्ष के पक्ष में निर्गत नियम निर्पेक्ष तथा द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त करने कि कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत पाया कि उभय पक्ष एक ही वंशवृक्ष के संतान हैं तथा उभय पक्षों के पूर्वजों के द्वारा खतियानी भूमि का आपसी बटवारा किया गया है। विवाद का मुख्य कारण भूमि का मापी नहीं होना प्रतित होता है। यदि आवेदक चाहें तो आपसी बटवारा से प्राप्त भूमि का मापी अंचल कार्याल नौडीहा बाजार से करा सकते हैं।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

24/5/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

24/5/18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
छत्तरपुर (पलामू)।

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.28 16:29:30 +05:30
Location: 192.168.238.105